झारखंड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– वि0प्रा0योजना–54/11 (पार्ट–2) / राँची, दिनांक–

प्रेषक,

गरिमा सिंह, भा0प्र0से0,
निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

सेवा में,

प्राचार्च/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, राँची/धनबाद/भागा/निरसा
खुटरी/लातेहार/कोडरमा/दुमका

राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची/बोकारो।

विषय :– **राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण/स्थापना आदि/संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु कुल रू0 2,18,25,384/– (रू0 दो करोड़ अठारह लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौरासी) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 05/योजना दिनांक 15.05.2023 के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिये स्वीकृत्यादेश सं0 563 दिनांक 24.05.2023 द्वारा किये गये अवधि विस्तार के फलस्वरूप वेतन भुगतान हेतु OSP में कुल रू0 2,18,25,384/– (रू0 दो करोड़ अठारह लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौरासी) मात्र की आवंटन की स्वीकृति निम्न सारणी के अनुसार प्रदान की जाती है :–

क्र0	संस्थान का नाम	ईकाई का नाम एवं विपत्र कोड़ संविदा भत्ता/43S220300112AN000108	
		वित्तीय वर्ष 2023–24	कुल योग
1	राजकीय पोलिटेकनिक, राँची	3872208.00	3872208.00
2	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची	3040584.00	3040584.00
3	राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद	1857936.00	1857936.00
4	राजकीय पोलिटेकनिक, भागा	301968.00	301968.00
5	राजकीय पोलिटेकनिक, निरसा, धनबाद	1325136.00	1325136.00
6	राजकीय पोलिटेकनिक, खुटरी	1239840.00	1239840.00
7	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, बोकारो	2148984.00	2148984.00
8	राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार	6312624.00	6312624.00
9	राजकीय पोलिटेकनिक, कोडरमा	749520.00	749520.00
10	राजकीय पोलिटेकनिक, दुमका	976584.00	976584.00
	कुल	**2,18,25,384.00**	**2,18,25,384.00**
रू0 2,18,25,384/– (रू0 दो करोड़ अठारह लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौरासी) मात्र			

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–उप शीर्ष–AN–डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोतर पाठ्यक्रम/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत संविदा भत्ता इकाई में वितीय वर्ष 2023–24 में उपबंधित राशि के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक– 274 दिनांक– 31.03.2023 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जवाबदेही संबधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
6. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 2101 है।
7. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, राँची/दुमका/खुटरी/कोडरमा/भागा/धनबाद/निरसा/लातेहार/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची/बोकारो होगें अथवा विभाग द्वारा घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 02 के बजट शीर्ष अंकित करेगें।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक– 17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
11. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची/बोकारो/दुमका/कोडरमा/धनबाद/लातेहार/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. विषयांकित राशि से वित्तीय वर्ष 2023–24 का भुगतान किया जाएगा तथा यह राशि केवल विश्व बैंक के संविदा पर रखे गये कर्मियों को ही भुगतान किया जाएगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदा0 सुनिश्चित करेंगे कि नियमानुसार जो राशि देय है वही राशि का भुगतान करेगें। किसी भी प्रकार के वित्तीय अनियमितता के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होगें।
15. प्रस्ताव पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
16. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
17. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(गरिमा सिंह)
निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

ज्ञापांक– वि0प्रा0योजना–54/11 (पार्ट–2) /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/बोकारो/दुमका/कोडरमा/धनबाद/लातेहार/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, तकनीकी शिक्षा।

ज्ञापांक– वि0प्रा0योजना–54/11 (पार्ट–2)/08/बजट /राँची, दिनांक– 02.06.2023

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/सहायक निदेशक–II को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा।